को देह-व्यापार अथवा वेश्यावृत्ति में धकेलने अथवा उसके लिए मजबूर करने और किसी बालिका का अनैतिक व्यापार करने और किसी वेश्या बालिका को स्वच्छंद संभोग के कार्यकलापों के लिए उसके ग्राहक द्वारा भाड़े पर लिए जाने अथवा कब्जे में लिए जाने के लिए भयोपरापी दंड और राज्य द्वारा ऐसी निस्सहाय बालिका के लिए समुचित पुनर्वास और कल्याणकारी उपाय किए जाने तथा तत्संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्री मती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्षक जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

The Prevention of Heinous Crime and Barbarous Cruelty Against Women Bill, 2005

श्री मती सुषमा स्वराज (उत्तराचंल) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि "बालिकाओं या महिलाओं के प्रति बर्बर क्रूरता जैसे मारपीट, बलात्संग के पश्चात् गला घोट कर हत्या करना, शरीर को टुकड़ों में काटना या बालिकाओं या महिलाओं को जीवित जलाना और बालिकाओं या महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों जैसे सामूहिक बलात्संग, सार्वजनिक रूप से नंगा करना और नंगा घुमाना या गर्भवती महिला के साथ बलात्संग करना, जिसकें परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है या गर्भपात हो जाता है, या बालिकाओं या महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किए जाने के निवारण हेतु मृत्यु दंड सहित भयोपरापी दंड तथा ततसंसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

The question was put and the motion was adopted.

श्री मती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

The Unorganised Labour and Agricultural Workers (Welfare) Bill, 2005

श्री मती सुषमा स्वराज (उत्तराचंल) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राज्य द्वारा अंसगठित श्रमिकों तथा कृषि कर्मकारों के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने हेतू एक कल्याण प्राधिकरण की स्थापना तथा राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, पैंशन तथा भविष्य निधि सुविधाओं के लिए कल्याण निधि की स्थापना और महिला कर्मकारों को चिकित्सीय देखरेख के साथ-साथ प्रसूति तथा शिशु सदन की सुविधांए प्रदान करने और तत्संसक्त तथा उसके आनुषगिंक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

The question was put and the motion was adopted.

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपसभाध्यक्ष जी, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): I wish to take the sense of the House. Mr. Santosh Bagrodia has requested that since he has got an urgent work to attend, he may be allowed to introduce his Bills listed against his name out of turn. Does he have the permission of the House? Yes. All right. Mr. Santosh Bagrodia.

The Destitute and Needy senior Citizens (Care, Protection and Welfare) Bill, 2005

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide tor proper care of senior citizens who are destitute by their Kith and kins and the Government and for protection of lonely or old couples by way or appropriate security measures by local police, and for other welfare measures and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir; I introduce the Bill.

The Needy and Neglected Senior Citizens and Orphans and Runaway Children (Care, Rehabilitation and Welfare) Bill, 2005

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the care, maintenance and other welfare measures to be undertaken by the Union and State Governments for the needy and neglected senior citizens who cannot maintain themselves or who have been neglected by their children for economic and other compelling reasons and for the care, rehabilitation and welfare measures for the orphans and runaway street children by the State through education and other means and tor matters connected therewith and incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, I introduce the Bill.

The Commercial Advertisements on Electronic Media (Regulation) Bill, 2005

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रेदश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विज्ञापनों के लिए ऐसे सन्नियमों और मानकों, जिनका अनुपालन किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करते